कार्यालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2 बाडी, धौलपुर

दिनांक :– 04/05/2020

क्रमांकः 105

आम सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र कमांक 14/पी.आई./2020 दिनांक 14.04.2020 के द्वारा एवं परिपत्र कमांक 17/पीआई./2020 दिनांक 02.05.2020 के द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम की दिशा में जारी दिशा–निर्देशों के लिए श्रीमान जिला एव सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश कमांक 61 दिनांक 03.05.2020 की अनुपालना में दिनांक 16.05.2020 तक के कार्यदिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी,

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरण
3. व्यादेश/ स्थगन सम्बन्धी प्रकरण
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. अपील की दशा में सजा स्थगन प्रार्थना पत्र
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हो।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिक्ति शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु तिथियॉ सुनिश्चत की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

क.	वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामले में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	शेष प्रकरण में आगामी नियत तिथि	
			दीवानी प्रकरण	फौजदारी प्रकरण
1	04.05.2020	18.05.2020	09.07.2020	11.06.2020
2	05.05.2020	19.05.2020	10.07.2020	12.06.2020
3	06.05.2020	20.05.2020	13.07.2020	15.06.2020
4	07.05.2020	21.05.2020	14.07.2020	16.06.2020
5	08.05.2020	22.05.2020	15.07.2020	17.06.2020
6	11.05.2020	22.05.2020	16.07.2020	18.06.2020
7	12.05.2020	26.05.2020	17.07.2020	19.06.2020
8	13.05.2020	27.05.2020	18.07.2020	20.06.2020
9	14.05.2020	28.05.2020	20.07.2020	22.06.2020
10	15.05.2020	29.05.2020	21.07.2020	23.06.2020
11	16.05.2020	30.05.2020	22.07.2020	24.06.2020

परिवर्तित तिथियां शीघ्र ही सीआईएस 3.0 पर अपडेट कर दी जावेगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि कोई पक्षकार अपने प्रकरणों को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस संबंध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रवृति का है, तो वह ऐसे प्रकरणों की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा। नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी परन्तु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

04-05-2020

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–02, बाडी
दिनांक 04/05/2020

कमांक 106 —110

प्रतिलिपि

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय, धौलपुर
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ बाडी, को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावे तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करें कि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों को सूचना मोबाईल आदि से दें ताकि वे न्यायालय में आने से बचें और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रखें।
3. सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जावे।
4. आदेश की प्रति सिस्टम असिसटेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. कार्यालय प्रति

04-05-2020

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–02, बाडी

Scanned with CamScanner